न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र सिंह चौहान आर0ए0एस

मुकदमा नं0 145/2022

1. गंगाराम पुत्र श्योनाथ जाति अहीर निवासी लोहरवाडा, तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0
2. हनुमान पुत्र श्योनाथ– फौत के बजाय वारिसानः–
   2/1– भंवरलाल पुत्र स्व. हनुमान
   2/2– जगदीश प्रसाद पुत्र स्व. हनुमान
   2/3– कानी देवी पुत्री स्व. हनुमान
   2/4– लाली देवी पुत्री स्व. हनुमान समस्त जाति अहीर नि0 लोहरवाडा, तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र लादू
2. श्री किशन पुत्र लादू
3. मोहन पुत्र लादू समस्त जाति अहीर नि0 लोहरवाडा, तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0।
4. कॉपोरेशन बैंक शाखा हिंगोनिया जरियेः– प्रबंधक
5. जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा हिंगोनिया जरियेः– प्रबंधक
6. आई0सी0आई0सी0आई0बैंक शाखा जोबनेर जरियेः– प्रबंधक
7. तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– 1. श्री लोकेश शर्मा वकील प्रार्थीया
2. श्री लक्ष्मण सिंह वकील अप्रार्थीगण

दिनांक :– 06/06/2025

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी खसरा नं. 90 रकबा 7.9284 है0 वाकै ग्राम लोहरवाडा पटवार हल्का हिंगोनिया भू0अभि0नि0क्षेत्र हिंगोनिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर में स्थित है। जिसमे वादी सं01 का 1/4 हिस्सा, वादी सं02 का 1/4 हिस्सा है। प्रतिवादी सं01 का 2/17 हिस्सा, प्रतिवादी सं02 का 13/68

DSC
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

हिस्सा, प्रतिवादी सं03 का 13/68 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी मे दर्ज है। एवं पक्षकारान अपने अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है।

विवादग्रस्त भूमि के उत्तर दिशा तथा उत्तरी पूर्वी दिशा की ओर पुख्ता डामर रोड जो कि ग्राम हिंगोनिया से लोहरवाडा की ओर जाती है स्थित है तथा डामर रोड निकल जाने से प्रतिवादीगण सं01ल03 की नियत मे फितूर उत्पन्न हो गया है और वे विवादग्रस्त भूमि मे डामर सडक की ओर स्थित भूमि पर जबरन कब्जा कर काश्त करना चाहते है तथा अच्छी किस्म की भूमि से बेदखल करने पर उतारू है।

वादीगण ने प्रतिवादी सं01ल03 से विवादग्रस्त भूमि का बाई मिण्टस एण्ड बोन्डस/अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी अनुसार विभाजित करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण कई वर्षो से विभाजन करवाने के लिए आश्वासन देते रहे परन्तु हाल ही मे दिनांक 14/6/2020 को वादीगण बारिस होने पर विवादग्रस्त भूमि मे अपने हिस्से को बाजोत करने के लिए गये तो प्रतिवादीगण वादीगण को बाजोत करने से मना कर दिया और वादीगण को धमकी दी कि वे रोड की दिशा वाली भूमि पर काश्त करेगे तथा वादीगण को उनके हिस्से से बेदखल कर देगे इसलिए वादीगण को यह वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर अच्छी किस्म की भूमि पर कब्जा कर लेगे व वादीगण को उनके कब्जे काश्त व हिस्से की भूमि से बेदखल कर देगे तो वादीगण को असहनीय हानि होगी व अनावश्यक मुकदमे बाजी बढेगी व कानूनी पैचेदगीयां उत्पन्न हो जायेगी व वादीगण अपने वैधानिक हक व अधिकार की भूमि से वंचित हो जायेगे। ऐसी स्थिति मे प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि दौराने वाद अप्रार्थी सं01ल03 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि आराजी ख0न0 90 रकबा 7.9284 है0 वाकै ग्राम लोहरवाडा पटवार हल्का हिंगोनिया भू0अभि0नि0क्षेत्र हिंगोनिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान मे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की मजाहमत/रूकावट इत्यादि नही करे, ना ही बिना विधिक विभाजन करवाये वादग्रस्त भूमि को रहन बैय मुंतकिल हस्तांतरण, बेचान करे, ना ही कोई निर्माण इत्यादि करे ना ही किस्म परिवर्तन करे, मौके व राजस्व रिकोर्ड यथावत स्थिति बनाये रखे। इस संबंध मे तहरीर जारी फरमायी जावे।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 3 मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 3 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाद गलत आधारो पर पेश किया गया। वादग्रस्त आराजीयात वाके ग्राम लोहरवाडा तह0 जोबनेर में स्थित होना स्वीकार है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज हिस्से के अनुसार वर्षो पूर्व आपसी सहमति से किये गये विभाजन के अनुसार मौके पर काबिज काश्त होकर भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है और प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 अपने हिस्से पर मौके पर काबिज है और प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 ने अपने हिस्से की भूमि के चारो तरफ पोल लगाकर तारबंदी कर रखी है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी मौखिक सहमति से भूमि का बंटवारा कर रखा है और उसी मौखिक बटवारे के अनुसार बाजोत करते आ रहे है। विवादित भूमि खसरा नंबर 90 के उत्तरी दिशा व उत्तरी पूर्वी दिशा की ओर से डामर रोड होना स्वीकार है तथा प्रतिवादीगण सं0 1लगा3 खसरा नंबर 90 में उत्तरी दिशा की ओर डामर रोड की ओर तथा उत्तरी पूर्वी दिशा की तरफ यानि की खसरा नंबर 141, 142/2 तथा खसरा नंबर 89 की ओर यानि की खसरा नंबर 90 में दक्षिण दिशा की ओर वादीगण काबिज काश्त है तथा करीबन 43–44 वर्ष से इसी अनुसार काबिज काश्त कर बाजोत करते आ रहे है यहां यह अंकित करना भी आवश्यक होगा की वादी सं0 1 गंगाराम ने अपने हिस्से की भूमि में ट्यूबवैल भी बना रखा है तथा बिजली का कनेक्शन ले रखा है तथा टीन सहित एक कमरा भी बना रखा है। इसी प्रकार वादी सं0 2 हनुमान के वारिसान ने भी अपने हिस्से में आयी भूमि पर ट्यूबवैल बना रखा है तथा गंगाराम व हनुमान दोनो ने ही अपने हिस्से में आयी भूमि पर ट्यूबवैल बनाकर उसमें खेती करते आ रहे है तथा बिजली का कनेक्शन भी ले रखा है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण ने भी अपने हिस्से में आयी भूमि जो कि हिंगोनिया से लोहरवाडा जाने वाली सडक की तरफ जो उनके हिस्से मे आयी भूमि थी उस पर तारबंदी कर रखी है। दिनांक 14.06.2020 का वाका वादीगण ने कतई गलत तथ्य वर्णित करते हुये उक्त चरण में वर्णित किया गया है। इसलिए वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा वादीगण खारिज किये जाने योग्य है। जब वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण मौके पर काबिज काश्त होकर भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है तो वादीगण को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इसलिए वादीगण रिकार्डेड खातेदार प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये जाने के अधिकारी नहीं है तथा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण द्वारा अतिरिक्त कथन में निवेदन किया गया है कि प्रतिवादीगण खसरा नंबर 90 की भूमि में उत्तरी तरफ

dsc
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

व उत्तरी पूर्वी तरफ काबिज काश्त है इसी अनुसार मौखिक बंटवारा हुआ था तथा आज से 43–44 वर्ष से इसी अनुसार काबिज काश्त होकर बाजोत करते आ रहे है चूंकि खसरा नंबर 90 के उत्तर दिशा की तरफ डागर रोड निकल गई इसलिए वादीगण की नियत में फितूर आ गया है तथा वे अब उक्त मौखिक बंटवारा से मुकरना चाहते है तथा जानबुझकर प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान कर रहे है तथा सडक की ओर से जमीन लेना चाहते है इसी आशय से दुर्भावना रखते हुए वादीगण ने यह वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान सुनी गयी। बहस वकील फरीकेन पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

01 **प्रथम दृष्टया प्रकरण** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2074–77 विवादित आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सम्मिलित खातेदारी की आराजी है। जिसमें प्रार्थीगण अपने हिस्से पर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी मौके पर अपने हिस्से की आराजी पर कब्जा व काश्त है। परन्तु रिकॉर्ड पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य कोई भी विभाजन नहीं हुआ है। विभाजन के अभाव में उभय पक्ष के द्वारा आराजी के विशिष्ट हिस्से पर अपना–अपना हक जताया जा रहा है। विभाजन से पूर्व आराजी के प्रत्येक इंच पर सभी पक्षकारान का हक है। उभय पक्ष के हित का निर्धारण भविष्य में मूल दावा में तनकी एवं साक्ष्य के आधार पर होगा। अप्रार्थीगण का कथन है कि उक्त आराजी का मौके पर बाहमी बंटवारा हो रखा है। परन्तु इस संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य अथवा बंटवारे का कोई प्रमाण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया है। अगर अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता है तो अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर परिवर्तन कर दिया जावेगा। जिससे वाद बहुलता बढेगी। इसलिए प्रार्थीगण के हितों की रक्षा एवं वाद बहुलता कम करने हेतु उभय पक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः उपर्युक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण में निहित है।

02 **सुविधा सन्तुलन** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सम्मलित खातेदारी की आराजी है। जिसमें प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपने हिस्से पर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी मौके पर अपने हिस्से की आराजी पर कब्जा व काश्त है। परन्तु रिकॉर्ड पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य कोई भी विभाजन नहीं हुआ है। अगर उभय पक्ष को स्थाई

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

निषेधाज्ञा से पायन्द नहीं किया जाता है तो असुविधा भी प्रार्थीगण को अधिक होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण में निहीत है।

03 अपूरणीय क्षति :– प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण में निहित है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर परिवर्तन कर दिया जावेगा तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होगी। जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नही होगा।

प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 3 को ताफैसला मुकदमा पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 90 रकबा 7.9284 वाकै ग्राम लोहरवाडा तह0 जोबनेर में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में मजाहमत नहीं करें।

निर्णय आज दिनांक 06/06/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट ★ जोबनेर, जिला जयपुर ★

देवेन्द्र सिंह चौहान
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर